प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखने हेतु राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अधीन की जाती हैं। यह प्रतिवेदन झारखण्ड सरकार के राज्य प्राप्तियों, जिनमें बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, अन्य कर (भू राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क, विद्युत शुल्क) और खनन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामलों में वैसे मामले जो वर्ष 2013-14 के दौरान लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आए साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था; तथा जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, वर्ष 2013-14 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षा की गई है।